

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

श्री. वी. बनाम श्री. व. व. व.

प्रकरण संख्या :- 125/2023

अवमानना

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>उक्ति :- उक्त प्रमाण अवमानना प्रमाण 039 R 2 X CPC वा खारिज किया जाता है। आदेश सुनाना उचित प्रमाणों के अभाव में नहीं किया जा सकता है।</p> <p>श्री. व. व.</p> <p>R. W. उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला- जयपुर</p>